

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... मुकाम...

बनाम...

किसम मुकदमा... नं. ... सन्. ...

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29/02/2021	प्राथी/वादी/अपीलांड के वकील श्री... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। त्रिप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक... को पेश हो।	
26/03/21	प्राथी वकील उपरिपत्र/विजयश्रीणी डे नोटिस जरिये रजिस्ट्रर को पेश की गये जिनकी डिप्लोमा रजिस्ट्रर पेश की गई सीमांत पत्रावली अधि-कारी को पेश करने से मिशाल इल्लव डौडर आगामी दिनांक 08/06/21 को पेश हो।	
08/06/21	प्राथी वकील उपरिपत्र/विजयश्रीणी अधिकारी को पेश करने से मिशाल इल्लव डौडर आगामी दिनांक 22/11/21 को पेश हो।	

Signature
निर्देशक कलकत्ता
(SDO) बापु



22/11/21

कमा

पत्रावली क्रमांक डीएमए डीए गंगा पंचायत
 नया सोमपुरा के रक्षा गार्ड प्राची वकील उपस्थित।
 विप्राथीगण बाबजुद तामिल अनुपस्थित/प्राची के अधिकारता
 की वरस हुनी गई, प्राची के अधिकारता द्वारा बताया की
 प्राची व विप्राथीगणों के खातेदारी खेत सेवा-सेवा काम
 हुए हैं। प्राची व विप्राथीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी
 मोठे व छोटे खाने हुए थे जो वर्तमान में डाबिनीकी
 पत्त से बिरवर गये हैं। जिससे प्राची को अपने
 खेत के सेवे का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत के
 सेवे को लेकर प्राची व विप्राथीगणों के मध्य हमेशा तनजा
 बरा रहता है। प्राची को अपने खेत के सेवे का सही
 ज्ञान करने हेतु नेखमवनी करवानी आवश्यक है
 इसलिए प्राची का नेखमवनी आवेदन स्वीकार किया
 जाकर नेखमवनी आदेश किया जावे।

अतः प्राची अधिकारता के निवेदन पर प्राची
 का नेखमवनी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
 बाबजुद को कमिश्नर व सम्बन्धित यू-अभिलेख निरीक्षक को
 सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाये
 कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्राची के खातेदारी
 खेतों की पक्की नेखमवनी मोठे पर कमिश्नर शुल्क जमा
 कराकर करें। पालग रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
 पत्रावली ही, पत्रावली के सल शुभार लेकर दो
 नम्बर से भेजे हो, दाखिल पत्र ही।


 सहायक कलकरी
 (SDO) बाबजुद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 759


दिनांक:- 22/11/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कुंभाराम पुत्र हजारीराम वगैरा 14 जाति मेघवाल निवासी चांदेसरा तहसील पचपदरा (बाड़मेर)		1. चनणसिंह पुत्र भीखसिंह वगैरा 40 निवासी जूना सोमेसरा तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 54/2021 आदेश


प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-जूना सोमेसरा पटवार हल्का-नोसर तहसील बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 83 व 75 रकबा क्रमशः 12.2968 व 9.8374 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर व सम्बन्धित भु.अ.नि. को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरिक्षक से दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क 500/- जमा करवाकर करें। एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु
दिनांक:- 22/11/2021

क्रमांक / वाद / 2021 / 760-764

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं।

1. तहसीलदार बायतु
2. सटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कुंभाराम पुत्र हजारीराम वगैरा 14
4. विप्रार्थी श्री चनणसिंह पुत्र भीखसिंह वगैरा 40
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु


उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु